न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रूपचन्द पुत्र ओमकार जाति अहीर

2. पप्पू पुत्र ओमकार जाति अहीर

3. मूसा पुत्र ओमकार जाति अहीर

4. मुकेश पुत्र ओमकार जाति अहीर निवासी ग्राम सबलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांटस

बनाम

1 सुरेश पुत्र जैराम उर्फ प्रभू पौत्र रामला जाति अहीर
2 महेन्द्र पुत्र जैराम उर्फ प्रभू पौत्र रामला जाति अहीर
3 गोठी पत्नि जैराम उर्फ प्रभू पुत्रवधु रामला जाति अहीर निवासीयान ग्राम सबलपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
4 मोतीलाल पुत्र किशना जाति अहीर
5 बुद्धराम पुत्र खेमचन्द जाति अहीर
6 जगदीश पुत्र खेमचन्द जाति अहीर
7 मिश्रोदेवी पत्नि मामराज जाति अहीर
8 करणसिंह पुत्र मामराज जाति अहीर
9 हरिसिंह पुत्र मामराज जाति अहीर
10 अतरसिंह पुत्र मामराज जाति अहीर
11 सतीश पुत्र मामराज जाति अहीर
12 रमेश पुत्र नरसिंह जाति अहीर
13 / रतिराम पुत्र लदूर जाति अहीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

14 बद्रीप्रसाद पुत्र प्रभाती जाति जाट

15 श्योचन्द पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासीयान ग्राम सबलपुरा

तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

16 तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर

17 प्रबन्धक, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,बानसूर दिनांक 7.5.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- श्री अनिल गुप्ता

निर्णय दिनांक 17.12.18

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 149/15 में पारित निर्णय दिनांक 7.5.18 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 20 रकबा 16 एयर, 221 रकबा 35 एयर, 176 रकबा 27 एयर वाके ग्राम सबलपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर व हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 25 एयर, 689 रकबा 18 एयर वाके ग्राम मंगलवा तहसील बानसूर तथा हाल खसरा नम्बर 986 रकबा 23 एयर वाके ग्राम बहरामकाबास पुराना रेवेण्यू विपेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

रामपुर तहसील बानसूर राजस्व रेकार्ड हाल में प्रतिवादीगण असल के नाम गलत दर्ज कर दिया गया । उक्त आराजी के वादीगण के पिता/पति जैराम उर्फ प्रभू 1/2 भाग पर व प्रतिवादीगण अबसल के बुजुर्ग भैरा, किशना, ओमकार पिसरान पेपला 1/2 भाग पर काबिज काश्तकार व बिश्वेदार थे । परन्तु बाद में प्रतिवादीगण के नाम भूमि गलत तौर पर दर्ज कर दी गई । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि हम पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है, जिसमें यह तय पाया गया है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर ली जाती है तो रेस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं है ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 ने भी निवेदन किया है कि अगर राजीनामा के अनुसार अपील स्वीकार कर ली जाती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा राजीनामा पर दिये गये तर्कों पर गौर किया । प्रकरण का अध्ययन करने पर हमारे समक्ष प्रमुखता से जो बिन्दू उभरकर सामने आया है, वो यह है कि जब प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत कर दिया गया था तो फिर तहत न्यायालय को तनकियात कायम करने की कहां आवश्यकता रही । अगर प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा दिया जाता है तो ही आदेश 14 नियम 01 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में तनकियात विरचित की जाती है, इकबाल दावा प्रस्तुत करने की स्थिति में तनकियात विरचित नहीं की जाती । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया । इसके अलावा अपीलांट ने अपनी अपील मीमो में निवेदन किया है कि उनकी ओर से जिस वकील के माध्यम से इकबाल दावा प्रस्तुत कराया गया है, उस वकील को अपीलांट प्रतिवादी ने पैरवी हेतु नियुक्त ही नहीं किया । इतना ही नहीं, दिनांक 28.1. 2016 की आदेशिका में तहत न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,7,13,14

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

की इकतरफा तर्ज की हुई है तथा दिनांक 28.1.2016 को ही प्रतिवादीगण संख्या 2 ला0 16 की ओर से इकबाल दावा भी प्रस्तुत किया हुआ है । ये कैसे सम्भव है कि प्रतिवादीगण अनुपस्थित भी है और उसी दिनांक को इकबाल दावा भी प्रस्तुत कर रहे हैं । इस सब तथ्यों के मध्यनजर प्रकरण को पुनः निस्तारित करने हेतु हम रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं । रिमांड किये जाने में किसी भी पक्षकार कोई ऐतराज नहीं है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.2018 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्दे श के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 16.1.2019 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned with Cam